

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छोगो)

क्रमांक १४५ / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2023

रायगढ़ दिनांक २०/०६/२०२३

॥ निविदा आमंत्रण सूचना ॥

नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत "डी वर्ग" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "अ" में पी.डब्ल्यू.डी. के सड़क एवं भवन एस.ओ.आर. (प्रभावशील दिनांक 01.01.2015), विद्युत एवं पी.एच.ई.एस.ओ.आर. (प्रभावशील दिनांक 01.06.2020) कार्य हेतु प्रचलित दर अनुसूची पर वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com/uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक ११०८/२३ को अपराह्न ०४:०० बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहरबंद निविदाएं त्रि-लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक ११०८/२३ को अपराह्न ०४:३० बजे उपरित्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

- कार्य के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 750.00 प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक देय है।
- कार्य पूर्ण करने की समयावधि अधिकतम चार माह एवं दरे वर्ष 2023-24 अथवा निविदा राशि का कार्य समाप्त होने तक।
- सभी कार्य एक साथ प्रारंभ किये जायेंगे। अतः उपलब्ध संसाधन के आधार पर उतने गुप में भाग लिया जावें।
- कार्य का लागत मूल्य राशि रूपये लाख में तथा अमानत राशि रूपये में है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत/अमानत राशि
1	वार्ड क्र. 07 में मुकित्थाम में शेड निर्माण कार्य। (चतुर्थ निविदा)	07.41 / 5600.00
2	वार्ड क्र. 14 में भुजबधान तालाब में इन्लेट और तालाब सफाई हेतु एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	10.63 / 8000.00

नियम एवं शर्तें:-

- उपरोक्त कार्य की निविदा प्रपत्र वेबसाइट uad.cg.gov.in/www.nagarnigamraigarh.com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जावें तथा निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार के जानकारी की आवश्यकता होने पर नगर निगम रायगढ़ के तकनीकी शाखा में प्राप्त किया जावें अन्यथा त्रुटि पूर्ण निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।
- निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 से पुराना मान्य नहीं होगा, जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन की प्रति दस्तावेज, ठेकेदार को किसी विभाग अथवा संस्था द्वारा कानी सूची में नाम दर्ज नहीं किया गया हो एवं उसे निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो तथा ठेकेदार आवंटित कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा गया हो इस आशय का ५० रु. के स्टाम्प ऐपर में शपथ पत्र (एक से अधिक कार्यों में भाग लिये जाने की स्थिति में एक कार्य में मूल शपथ पत्र तथा अन्य कार्यों में शपथ पत्र की फोटो कापी जो स्व प्रमाणित हो संलग्न किया जावें परन्तु इस आशय का ध्यान रखें कि जिस कार्य में मूल शपथ पत्र संलग्न किया गया हो उस गुप की निविदा में अनिवार्य रूप से भाग लिया जावे अन्यथा शपथ पत्र के अभाव में अन्य गुप की निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।) के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी.एर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होंगी। आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक कार्य का पृथक-पृथक निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी.एर./एफ.डी.आर. एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रत्येक कार्य का पृथक निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
- अमानत राशि के रूप में टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होगा।
- रायली किलरेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री तथा सी.सी.क्यूब तथा नगरीय प्रशासन कार्यालय से टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतिम देयक देय होगा, अंतिम देयक के लिए कम से कम दस प्रतिशत राशि रोकी जावेगी। टेस्टिंग कार्य ठेकेदार को निगम द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से स्वयं के व्यय से कराना होगा।
- निविदा स्वीकृत की वैधता १२० दिनों की होगी। दरें समस्त करों सहित मान्य होगी। पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। बाजार दर में वृद्धि होने के स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
- ठेकेदार को उनके निविदा में उल्लेखित प्रस्तुत दर कम/अधिक प्रतिशत पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी। सभी देयकों में से अन्य आवश्यक कटौतियों के साथ ०५% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेंस राशि अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी जो लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमानुसार अवधि तक रोकी जावेगी। आगामी वर्ष के अवधि में निर्देशित सुधार कार्य करने के बाद रोकी राशि देय होगी। जब तक ठेकेदार के द्वारा अंतिम देयक का भुगतान प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परफॉर्मेंस अवधि प्रभावशील नहीं होगी। सर्वत निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सितम्बर माह में सूचना देना होगा कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर सुधार हेतु अवगत कराया जावें।
- एस.ओ.आर. से दस प्रतिशत से कम निविदा दर प्रस्तुत करने की स्थिति में लागत मूल्य के आधार पर अन्तर की राशि का एफ.डी.आर. या अन्य माध्यम से पन्द्रह दिवस में निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा स्वयं निरस्त हो जावेगी एवं भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
- कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा जिसके समर्थन में संपादित कराये गये कार्य में प्रयुक्त समाग्रीयों के खपत के अभिलेख दैनिक रूप से संधारित किया जाना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- कार्य का अन्य विवरण, देयक से काटी जाने वाली राशि एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
- नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
- निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर निविदा तिथि आगामी दिवस को मान्य होगी।
- लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को पूर्णतः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद चिपकाना अनिवार्य होगा।
- संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास का पत्र दिनांक 28-05-2020 के तहत कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्नातक/डिप्लोमा, इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा। जिन ठेकेदारों के पास निकाय में २० लाख रु. मूल्य के कार्य आवंटित हैं उन्हें डिप्लोमा, इंजीनियर एवं इससे अधिक मूल्य के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु स्नातक अभियंता को नियुक्त करना होगा, जो चेक लिस्ट तैयार करे। ठेकेदार अपने इंजीनियर से देयक तैयार कराकर प्रस्तुत कर सकेगा जिसका परीक्षण/सत्यापन निगम के अभियंता द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं बंधन कारी होगा।
- निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार २५ प्रतिशत अधिक मूल्य तक का एस.ओ.आर. में प्रावधानित कार्य स्वीकृत निविदा दर से कराया जा सकेगा।
- कार्य कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के अन्दर प्रारंभ कर उल्लेखित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। अतः वही ठेकेदार निविदा में भाग ले जिसके लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हो ऐसी सलाह दी जाती है।



21. प्रस्तावित कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल प्रारम्भ कर आबंटित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा धीमी गति से संपादित करने पर आनुपातिक रूप से कार्य की प्रगति नहीं होने पर समयपूर्द्धि समाप्त होने के पूर्व भी कार्य को निरस्त कर दिया जावेगा।
- पश्चात् एवं पुर्वनिविदा की स्थिति में बढ़े हुए निविदा दर एवं विलम्ब शुल्क की कटौती पश्चात् देय होगा।
22. आबंटित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा करायी गयी राशि को राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा एम.आई.सी. में ठेकेदार के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही का प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा जो मान्य होगा।
23. निविदा दर स्वीकृत पश्चात् अनुबंध संपादन का आशय स्वतः कार्य करने की स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रारंभ करने की फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आऊट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जावें।
24. समय-समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होंगे।
25. विज्ञापन में संलग्न एन.आई.टी. कराये जाने वाले कार्यों का स्वरूप है। वास्तविक कार्य एस.ओ.आर. में उल्लेखित आईटम से जुड़े हो सकते हैं जिन्हें पुनरीक्षित पृथक तकनीकी स्वीकृति के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।
26. शासन से आबंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। शासन से आवंटन किश्तों में प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवंटन अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान होने पर कार्य को बंद नहीं किया जा सकेगा व कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
27. नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देश/सुधार का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
28. सभी कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल सम्पादित करना होगा। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों को पंजीयन श्रेणी के अधिकतम मूल्य तक के कार्यों की निविदा में भाग लेने की सलाह दी जाती है। एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदाओं में ऐसे सभी कार्य जिनकी निविदा दरें न्यूनतम हैं को सम्मिलित कर पंजीयन मूल्य से अधिक होने की स्थिति में समीक्षा पश्चात् कार्यों के आबंटन की कार्यवाही सम्पादित होगी। ऐसी स्थिति में एम.आई.सी. द्वारा कार्यों की समीक्षा करते हुये लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही सम्पादित किया जावेगा जो बंधनकारी होगा।
29. दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराइटर अथवा भागीदार के रूप में हितवृद्ध है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत करते हुए उपरांत दिये गये निर्देश/सुधार के भुगतान स्थगित करते हुये सक्षम प्राधिकारी नहीं कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति के भुगतान स्थगित करते हुये सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है।
30. निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
31. ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्षों का समनुदेश न अथवा उप पट्टे पर नहीं होगा। कार्यों को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
32. निविदा दर एस.ओ.आर. से 10% से अधिक, कम (Tender Rate Below More Than 10% in SOR) होने की दशा में प्राक्कलन राशि के 90% एवं निविदा दर के अंतर की राशि, यदि 10% से 20% तक अधिक कम हो तो एफ.डी.आर./टी.डी.आर. निविदा खोले जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर स्वमेव जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 02 वर्ष के लिये निकाय में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।
33. ठेकेदारों को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डील की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
34. छ.ग. वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेन्युअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।
35. मार्ग की डिजाइन अनुसार कैम्बर तथा सुपर एलिवेशन मैटेन करना होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पादित कार्य स्थल में पानी का ठहराव नहीं हो। अतः स्लोप को ध्यान रखकर कार्य सम्पादित करायेगा।
36. ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य नहीं करने की स्थिति में अन्य ठेकेदार से स्वीकृत दर पर उक्त कार्य कराया जा सकता है।

पृ. क्रमांक 184/लो.क.वि/न.पा.नि./2023

प्रतिलिपि:-

- महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- नेता प्रतिपक्ष/प्रभारी सदस्य, लो.क.वि. नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- कार्यालय अधीक्षक, नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
- प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचा. रायपुर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु सूचनार्थ संप्रेषित।


कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम रायगढ़
रायगढ़ दिनांक 20/04/2023


कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम रायगढ़